

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक .....C/4764/

जबलपुर, दिनांक 29/06/2024

श्री पी.के.एस. ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 02.05.2024 से 07.06.2024 तक 37 दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार


सही/-  
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक.....C/4765/

जबलपुर, दिनांक 29/06/2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री पी.के.एस. ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(संदीप शर्मा)  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)